वह काली रात जब जामिया पर लाठी बरस रही थी ...

अभय कुमार

जामिया का आन्दोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित किया जा रहा था, जिस में हिन्दू मुसलमान, दलित-पिछड़ा आदिवासी, मर्द औरत सब शामिल थे। जामिया से गूंजती नागरिकता विरोधी कानून के नारे फिरकापरस्तों को यह याद दिला रहे थे कि भारत किसी की निजी संपत्ति नहीं है।

आज भी आँखों के सामने वह काली रात खड़ी हो जाती है। वह डरावनी रात जब जामिया पर लाठी की बारिश हो रही थी। जामिया के फूल से मासूम छात्रों को पुलिस बुरी तरह से मार रही थी। सड़क, कैम्पस की कौन कहें, पुलिस लाइब्रेरी में बैठे छात्रों तक को नहीं छोड़ रही थी। राज्य द्वारा प्रायोजित हिंसा ने जामिया को खून से लथपथ कर दिया।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों की सिर्फ इतनी खता थी कि वे देश के संविधान को बचाने के लिए विरोध-प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने हड्डी को छेदने वाली सर्दी में आसमान के नीचे धरने पर बैठने की हिम्मत की। उनको यह हरगिज भी काबिल-ए-कुबूल नहीं था कि मुल्क के दस्तूर की रूह अर्थात सेकुलरिज्म का गला घोंट दिया जाए।

सेकुलरिज्म की विचारधारा के कोख से ही जामिया तकरीबन सौ साल पहले निकली थी। जामिया के छात्र इसी विरासत के लिए भी लड़ रहे थे। जामिया देश की आजादी और सेकुलरिज्म का प्रतीक रहा है। हिन्दू-मुस्लिम एकता और सांप्रदायिक राजनीति का विरोध जामिया का पैगाम रहा है जो देश के संविधान की आत्मा भी है।

मगर देश के हाकिम बन बैठे लोग संविधान से ज्यादा मनुधर्म को अहमियत देते हैं। वे गाँधी के शांति के संदेश को मिटा कर उसपर गोडसे की कट्टरता को लिखना चाहते हैं। वे भगत सिंह, अम्बेडकर और मौलाना आजाद की जगह सावरकर की विचारधारा पर देश को बांटना चाहते हैं। हिंदुत्व राजनीति को अमली जामा पहनाते हुए,

पिछले साल देश की सत्तावादी भाजपा सरकार ने बगैर आम राय बनाये, सिर्फ संख्या के बल पर, नागरिकता कानून को देश पर थोपने कि नाजायज कोशिश की है।

आसान शब्दों में, नागरिकता कानून धार्मिक भेदभाव पर आधारित है। यह देश के संवैधानिक मूल्य सेकुलरिज्म और बराबरी के सरासर खिलाफ है। इस कानून में प्रावधान है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के सताये हुए हिन्दू, सिख, इसाई भारत में शरण ले सकते हैं और उनको नागरिकता दे दी जाएगी। मगर उन्हीं देशों में उत्पीड़ित मुसलमानों के लिए भारत के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे! संक्षेप में, नागरिकता कानून भारत के मुसलमान को धर्म के आधार पर 'एक्सक्लूड' करता है।

ऐसा कानून लाने के पीछे मंशा सांप्रदायिक थी। हिंदुत्व की नर्सरी से निकला सत्ता वर्ग देश के सेकुलर दस्तूर को बदलना चाहता है। हिंदुत्व ताकतें संविधान की अगर गलती से कभी बात भी करती है तो वह उपरी मन से करती है। उसके दिलों में बाबासाहेब अम्बेडकर के संविधान के प्रति कोई आस्था नहीं है बल्कि हमेशा उसके खिलाफ जहर ही उगलते रहते हैं. वह मुसलमानों को नागरिकता कानून से बाहर कर संविधान की सेकुलर रीढ़ को तोड़ना चाहती हैं। नागरिकता कानून भारत को हिन्दू राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया में एक बड़ा कदम था।

यह वह समय है जब देश का विपक्ष, सिविल सोसाइटी, मीडिया आदि सभी डरी-सहमी थी। जब देश के नेता-गण दिशाहीन थे, तब यूनिवर्सिटी के नवजवानों ने देश को बचाने के लिए आगे कदम बढ़ाया। किसी भी लोकतान्त्रिक सरकार को चाहिए कि विवाद को बातचीत से दूर करे, संवादों में आयें और सारे असंतोष को सुने व खत्म करे। शांति और संवाद का रास्ता इख्तियार किया जाना चाहिए, जो इस देश की विरासत है। मगर "दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र" की सरकार ने 'डायलाग' की राह छोड़ कर, लाठी, डंडा और बर्बरियत

पर भरोसा जताया। 15 दिसंबर की उस रात को अचानक से पुलिस का बड़ा हुजूम देश के भविष्य को मारने और तोड़ने के लिए आगे कर दिया गया। निहत्थे छात्र छात्राओं पर हमला किया गया। कुछ ही देर में पुलिस की बर्बरियत ने जामिया को जख्मी कर दिया। चोट जामिया पर हो रही थी और खून देश की जम्हूरियत और दस्तूर से निकल रहा था।

जैसाकि ऊपर इशारा किया गया है कि नागरिकता कानून एक हद तक हिंदुत्व की विचारधारा की उपज है। "हिंदुत्व" नजरिए के विचारक वी.डी. सावरकर ने अपनी पूरी जिन्दगी सेकुलर सिद्धांत (जमततपजवतल) पर आधारित नागरिकता का विरोध किया। सावरकर चाहते थे कि नागरिकता का आधार खून, नस्ल, संस्कृतिपर आधारित बने। ऐसी सांप्रदायिक सोच संविधान के मूल्यों के खिलाफ है। हालाँकि सावरकर ने अपने लेखन में धर्म का उल्लेख नहीं किया था, लेकिन वास्तव में वह धर्म के बारे में ही बात कर रहे थे। वह नागरिकता के धर्मनिरपेक्ष आधार को समाप्त कर, इसके स्थान पर हिन्दू राष्ट्र लाना चाहते थे। वे हिंदू राष्ट्र को भारतीय संस्कृति और इतिहास का 'कोर' मानते थे। उनका कहना था कि मुसलमान और ईसाई हिंदू राष्ट्र से अलग हैं, क्योंकि उनके पवित्र स्थान भारत से बाहर हैं।

नागरिकता विधेयक लाकर, भाजपा सरकार सावरकर की विचारधारा को गाँधी के देश में थोपना चाहती है। दूसरे शब्दों में हिंदुत्व की सरकार भारतीय संविधान को भगवा में रंगने की लगातार कोशिश कर रही है। मगर देश की यूनिवर्सिटी ने इस खतरे को पूरी तरह से समझा है। सचमुच जामिया, अलीगढ़, जेएनयू, असम, हैदराबाद विश्वविद्यालय ने जो पराक्रम दिखाया, वह इतिहास में दर्ज हो चुका है। असल में यूनिवर्सिटी के नवजवान भारत के संविधान के सच्चे संतरी और पासबां बनकर सामने आयें।

तमाम दुष्प्रचार से दूर, जामिया का नागरिकता विरोधी प्रदर्शन शासकों को याद दिला रहा था कि यह देश केवल हिंदुओं का नहीं है न ही यह देश सिर्फ मुसलमानों का है। इसमें कई असंख्य अस्मिताएं सांस लेती हैं. यह देश सब का है। कोई भी सरकार नागरिकों के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती, क्योंकि देश का संविधान इस बात की जमानत देता है कि कानून की नजर में सब समान हैं। भले ही संख्या के बल पर मोदी सरकार संविधान के उसी मूल ढांचे के साथ छेड़–छाड़ कर रही है, मगर वह यह भूल गई है कि सर्वोच्च न्यायालय का एक महत्वपूर्ण निर्णय यह है कि संविधान की मूल संरचना को किसी भी परिस्थिति में नहीं बदला जा सकता है।

जामिया का आन्दोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित किया जा रहा था, जिस में हिन्दू मुसलमान, दलित–पिछड़ा आदिवासी, मर्द औरत सब शामिल थे। जामिया से गूंजती नागरिकता विरोधी कानून के नारे फिरकापरस्तों को यह याद दिला रहे थे कि भारत किसी की निजी संपत्ति नहीं है। यह तहरीक शासकों को यह बतलाना चाह रही थी कि हिन्दू–मुसलमान सबने देश की आजादी और देश के निर्माण के लिए बलिदान दिया है। जामिया की तहरीक यह बात जोर–जोर से दोहरा रही थी कि कि उनकी लड़ाई किसी धर्म

या संप्रदाय के खिलाफ नहीं, बल्कि भारत जैसे खूबसूरत देश को बचाने के लिए थी। जामिया की लड़ाई अपने विश्वविद्यालय की तारीख को बतला रही थी कि कैम्पस को बनाने में जितना योगदान गांधीजी का है उतना ही जाकिर हुसैन का है। जामिया, कौमी तालीम के सिद्धांत पर स्थापित किया गया था। इस कैंपस के चमन में हर धर्म और संप्रदाय से फूल खिले थे, खिलते रहेंगे। चंद फिरकापरस्त लोगों से यह कैंपस और अवाम डरने वाला नहीं.

हालाँकि इस शांतिपूर्ण आन्दोलन को जुल्म और जबर से दबा दिया गया, मगर तारीख के पन्नों से इसे कोई भी जाबिर ताकतें मिटा नहीं सकती हैं। जामिया का आन्दोलन एक प्रेरणा बन चुका है। शायद यह आन्दोलन एक घास की तरह था। घास दिखने में कमजोर और नाजुक जरूर लग सकती है, लेकिन उसके अन्दर बड़े दरख्त से भी ज्यादा शक्ति होती है। बड़े पेड़ भूकंप बाढ़ से प्रभावित होते हैं और गिर पड़ते हैं। मगर घास कुछ समय के लिए मुरझा सकती है, लेकिन फिर उग जाती है। घास कभी साहस नहीं खोती वह फिर फिर उग आती है, चाहे उसे जितना भी मसला गया हो। आप जीवन का गीत प्रतिकूल परिस्थितियों में भी गाते रहते है। जामिया ने सही अर्थों में हमें जीने का पाठ पढ़ाया है। जामिया ने सिखाया है कि जीवन का दूसरा नाम प्रतिरोध ही है।

(अभय कुमार जेएनयू से पीएचडी हैं। इनकी दिलचस्पी माइनॉरिटी और सोशल जस्टिस से जुड़े सवालों में हैं। आप अपनी राय इन्हें debatingissues@gmail-com पर भेज सकते हैं.)